वर्तमान सन्दर्भ में महिला सशक्तिकरण

*डॉ. सुरेन्द्र कुमार

परिचय :

प्राचीन काल से महिलाएं केवल घर गृहस्थी को ही नहीं देखती बल्कि समाज, राजनीति, धर्म सभी क्षेत्रों में पुरूष की संगिनी के रूप में सहायक रही है परन्तु समय परिवर्तन के साथ महिलाओं पर अत्याचार व शोषण बढ़ता जा रहा है। महिलाएं पारिवारिक स्थिति से समझौता करने के साथ–साथ शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में भी उपेक्षित जीवन व्यतीत करती है।

समाज का विकास करने में स्त्री व पुरूष दोनों की भागीदारी आवश्यक है। परिवार समाज तथा राष्ट्र के चहुँमुखी विकास में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों से अधिक होती है। अतः इस चहुँमुखी विकास की धुरी अर्थात महिला का सशक्तिकरण आवश्यक है और महिला का सशक्तिकरण शिक्षा से ही सम्भव है। महिला सशक्तिकरण में आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण पर चर्चा होती है। सामाजिक सशक्तिकरण पर ही नहीं महिलाएं जातीय संरचना में भी पुरूषों से काफी पीछे है। शिक्षा ही एक शक्तिशाली हथियार है। जिससे महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण हो सकता है। शिक्षित व्यक्ति स्वतंत्रता व समानता के साथ अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग करता है। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का मूल कारण है कि यदि महिला शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों की माँग करेगी।

महिला शिक्षा की आवश्यकता :

महिलाओं को शोषण से बचाना है तो उसे शिक्षित करना होगा क्योंकि शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान ही नहीं होता बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी होना है। शिक्षा सफलता की कुँजी है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को समझने की शक्ति शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है। शैक्षणिक शोषण के अन्तर्गत बेटियों को विद्यालय भेजने के स्थान पर घरेलू काम करवाया जाता है, मजदूरी करवाना, बेटी को पराया धन मानना, बेटे व बेटी को समान न समझकर बेटी को शिक्षा से वंचित रखना है। शिक्षा के अभाव में महिलाएं कुशल गृहिणी नहीं बन पाती है और परिवार के सदस्यों कोवे सुख–सुविधाएं नहीं दे पाती जो वे अपेक्षा करते हैं। शिक्षा के अभाव में महिलाओं का बौद्धिक एवं नैतिक विकास भी नहीं हो पाता।ऐसा कहा जाता है कि जहाँ की नारी पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी विचारधारा होने के बाद भी महिलाओं का शोषण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है। अतः यह कहना उचित होगा कि हमने अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का त्याग कर दिया है। जिसके कारण समाज महिलाओं के गुणों को समझने में असफल रहा है। वर्तमान समय में नारी कितनी भी सुशील क्यों न हो लेकिन उसे शिक्षित होना भी जरूरी है, क्योंकि यदि नारी शिक्षित नहीं होगी तो वर्तमान समय के साथ तालमेल नहीं बना पाएगी। महिलाएं सहनशील होने के साथ–साथ शिक्षित भी होनी चाहिए। अशिक्षित महिला को महत्वहीन समझा जाता है। इसीलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी बहुओं और बेटियों को शिक्षित बनाए।

महिला सशक्तिकरण का आधार शिक्षा है। शिक्षा से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी व अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकती है। महिला सशक्तिकरण की मुख्य बाधा अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, पुरूष आधारित समाज की मानसिकता है। इन समस्याओं का समाधान शिक्षा है। देश व समाज के विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत अधिक आवश्यक है।

वैदिक काल में ही उच्च शिक्षित महिलाओं का वर्णन मिलता है उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। महिलाओं को उनके अधिकार से विमुख नहीं रखा गया था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। जैसे–जैसे समय बदला पुरूष प्रधान समाज की सोच में भी परिवर्तन आया। लड़कियों को बचपन से ही दबाने का प्रयास किया जाने लगा। शिक्षा को लड़कों तक ही सीमित कर दिया गया। स्त्री शिक्षा को लेकर समाज में अनेक कुरीतियाँ फैल गयी। अनेक समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रयास किये राजा राम मोहन राय, दुर्गा बाई, देशमुख, ईश्वरचन्द,

विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले इत्यादि थे लेकिन सदियों से समाज में बसी धारणा को बदलना आसान नहीं था। इन समाज सुधारकों के कठिन प्रयासों के कारण धीरे–धीरे समाज की बेडियाँ खुलने लगी तथा स्त्री शिक्षा का प्रसार होने लगा।

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकारी नीतियाँ :

भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला महिला विश्वविद्यालय जोन इलियोट द्वारा 1849 में बनाया गया था, जिसका नाम बीथुने कॉलेज था। सन् 1947 से लेकर वर्तमान समय तक सरकार ने उच्च शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक जनहितकारी योजनाएं बनाई है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केन्द्र सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ महिलाओं की शिक्षा में गुणवता और संसाधन को बेहतर बनाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा महिला शिक्षा सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरूआत की गयी है। इसका मुख्य लक्ष्य महिला शिक्षा दर को बढ़ावा देना है।

सरकार तथा न्यायपालिका दृष्टिकोण :

21वीं सदी में महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सरकार तथा न्यायपालिका का उदार एवं सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। स्त्री के स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पीडन से मुक्ति, आर्थिक स्वालंबन आदि बिन्दुओं पर गम्भिरतापूर्वक चिंतन ही नहीं वरन् उनके लिए आवश्यक उपाय भी किए गए हैं, क्योंकि सर्वांगीण् उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए सरकार शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए महिला शिक्षा को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। भारत में बाल शिक्षा के क्षेत्र में नयी अवधारणा का जन्म 1992–93 में संयुक्त राष्ट्र बल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर करने से हुआ। 1993 में उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्रप्रदेश के मामले का निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का भाग है। संविधान के 86वें के संशोधन धारा 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(A) राज्य ऐसी विधि बना सकता है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान करती है।

वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान– छः से चौदह वर्ष तक के हर बच्चे के लिए नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा मुफ्त है। इस शिक्षा के लिए इन बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें किसी शुल्क अथवा खर्च की वजह से प्राथमिक शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा। यदि छः के अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां पर तीन वर्षों की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकार, दोनों की है, तथा इसके लिए होने वाला धन खर्च भी इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी। अनिल पंजाबराव बनाम महाराष्ट्र (2011) बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा एक मूल अधिकार है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह सभी स्थानों के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी ऐसे स्थानों में शिक्षण संस्थाये स्थापित करें, जहाँ शिक्षण संस्थाऐं नहीं है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

मानवधिकार की सार्वभौमिक घोषणा :–

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषण, 1948 का अनुच्छेद 26 में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। प्रारंभिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क होगी तथा प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी। बच्चों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 1989 का अनुच्छेद 28 में उपबंध करता है कि शिक्षा को बच्चों का अधिकार माना। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 के अनुच्छेद 13 में भी सबसे अधिक स्पष्ट रूप से शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी है।

महिला शिक्षा को बढावा देने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत छः वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएंगे जहां शिक्षा की कोई

व्यवस्था नहीं हो और जहां पर विद्यालय है उन्हें और अधिक विकसित करते हुए आधारभूत सुविधाएं जैसे अतिरिक्त कक्षाएं, पीने का पानी, शौचालय आदि तथा बालिका शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा। मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने तथा उनके पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए विद्यालयों में भोजन देने की योजनाएं है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कन्या छात्रावास योजना, मॉडल स्कूल योजना, स्कूलों की सूचना एवं संचार तकनीक, राष्ट्रीय प्रावीण्य छात्रवृत्ति, किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम। उच्च शिक्षा के अन्तर्गत केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को अनुदान कोष उपलब्ध कराती है तथा देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करती है। केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की अनुशंसाओं के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं को मान्य विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करती है। राज्य सरकार अपने प्रदेशों में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

भारत में महिला शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना बहुत बढ़ी चुनौति है। निम्न स्तर के परिवार की लड़कियों की पढ़ाई प्राथमिक स्तर तक आते–आते छुड़वा दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लड़कियाँ महाविद्यालय तक जा पाती है। इसीलिए सरकार साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। सरकारें मेघावी छात्राओं को साइकिल, छात्रवृति आदि अनेक प्रोत्साहन देकर महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। बड़ी संख्या में बाल विवाह होने के कारण लड़कियों को शिक्षा के पुरे अवसर नहीं मिल पाते।

निष्कर्ष एवं सुझाव :–

सरकार ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये हैं। लेकिन महिला शिक्षा अभी भी कोसों दूर है। गैर सरकारी संगठन 'चिल्ड्रन राइट्स एण्ड यू (क्राई)' ने एक अध्ययन में बताया है कि घरेलू काम महिला शिक्षिका का अभाव, छोटे भाई–बहनों की देखभाल छात्र व छात्राओं के लिए अलग शौचालय का अभाव आदि अनेक ऐसे कारण है जो महिला शिक्षा में बाधक है। महिला शिक्षा के प्रति समाज को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। सरकार ने महिला शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रावधान बनाये हैं, उनका क्रियान्वयन एक रणनीति बनाकर करना होगा, तभी इन प्रावधानों का ठोस व सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। महिलाओं को व्यवसायी शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी वह आत्म निर्भर होगी।महिला शिक्षा के प्रसार के बिना महिलाओं के कल्याण के कानून व योजनाएं बेमानी है। महिला शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। महिलाओं को प्रगतिशील और सभ्य बनाना है। शिक्षित नारी ही अपने परिवार व्यवस्थित तरीके से चला सकेगी।

***असिस्टेंट प्रोफेसर**
एस.जी.एन. खालसा विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची : –

(1) पाण्डेय, जय नारायण, (2015) "भारत का संविधान", 48वाँ संस्करण, सेन्टर लॉ एजेन्सी।

(2) शैलेन्द्र, मौर्य (2007), "राजस्थान में महिला विकास प्रारम्भ से आज तक", राजस्थान साहित्य संस्थान, जोधपुर।

(3) गुप्ता, सुभाषचन्द्र (2004) "कार्यशील महिलाएं एवं भारतीय समाज", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

(4) वंदना सिंह, (2006), "नारी सशक्तिकरण दशा–दिशा", (जुलाई) प्रतियोगिता दर्पण

(5) उपाध्याय, जय जयराम, (2002) "मानवाधिकार", सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद।

(6) शर्मा, मंजू, (2008) "भारतीय समाज में महिलाओं का विकास", राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।